फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

किलाणी बनाम राज0 सरकार वगै0

किस्म मुकदमा- प्रा0 पत्र अ0धा0 136 एल आर एक्ट मु0नं0- 109/2022

पीठासीन अधिकारी- श्री राकेश कुमार मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19/12/23	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र पेश हुई। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 987 वाके ग्राम ठीकरिया में स्थित है जिसकी खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। तथा एकीकरण विभाग वालो ने अवैधानिक तरीके से नक्शा शीट में परिवर्तन कर दिया जो कानूनन गलत है सम्वत 1932 का नक्शा है वह सही है व इससे पूर्व का भी नक्शा सही है, जबकि वर्तमान नक्शे में गलत तरमीम कर दी गई है। इसलिए भूमि खसरा नम्बर 987 का नक्शासीट में परिवर्तन कर दिया है उसे पूर्व के नक्शेनुसार दुरूस्त किया जावे तथा साबिक नक्शे अनुसार ही वर्तमान नक्शासीट कायम की जावे। इत्यादि पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। जवाब स्टेट प्राप्त होने पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जवाब स्टेट का अवलोकन किया गया। मुताबिक जवाब तहसीलदार सिकराय ग्राम ठीकरिया की विवादित भूमि खसरा नम्बर 987 के साबिक खसरा नम्बर 896 है तथा खसरा नम्बर 987 रकबा 0.46है0 का साबिक खसरा नम्बर 896 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा है वर्तमान नक्शासीट एवं साबिक नक्शीसीट की आपस में तुलना करने पर दोनो नक्शासीट में अन्तर पाया गया, जो संलग्न नक्शासीट सम्वत 2003 के खसरा नम्बर 896 व वर्तमान नक्शाशीट के खसरा नम्बर 987 का अन्तर लाल स्याही से दर्शाया गया है। इस प्रकार जवाब स्टेट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि की साबिक नक्शाशीट एवं वर्तमान नक्शाशीट मे अन्तर होने के कारण एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 987 की वर्तमान नक्शाशीट की तरमीम निरस्त कर पुनः तरमीम मुताबिक साबिक नक्शाशीट के अनुसार किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। जवाब तहसीलदार सिकराय निर्णय का नाम सुना। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)